




## सेंद्ई फ्रेमवर्क के आगे की पहल और भावी नीति

किरेन रिज्जु



**संपोषणीय आधारभूत ढांचे में सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जिसमें तेजी से बढ़ते शहरीकरण के परिणामस्वरूप दूसरे प्रकार के जोखिम भी शामिल हैं। नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित एएमसीडीआरआर के निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे क्षेत्र की राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या है। इसके जरिए जोखिम एवं चुनौतियों को चिह्नित करने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान देने वाले दुर्लभ संसाधनों के समान वितरण में मदद मिलेगी**

**18** मार्च, 2015 एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य देशों ने एक 15 वर्षीय योजना को मंजूर किया। **सेंद्ई फ्रेमवर्क** नामक इस योजना को 2015 में जापानी शहर **सेंद्ई** में आपदा जोखिम कम करने पर केंद्रित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन के दौरान मंजूर किया गया। दिलचस्प बात यह है कि 2015 के उपरांत की विकास कार्यसूची पर केंद्रित यह पहला सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र समझौता था। इसके तहत वर्ष 2030 तक के लिए चार प्रमुख प्राथमिक क्षेत्र और सात लक्ष्य निर्धारित किए गए। इस फ्रेमवर्क के संभावित निष्कर्षों में आपदा के नए जोखिमों को उभरने से रोकना और आपदा संकटों को कम करना है। **सेंद्ई फ्रेमवर्क** के चार प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल हैं: (1) जोखिम को समझना, (2) जोखिम नियंत्रण को मजबूती देना, (3) आपदा प्रतिरोध में निवेश करना और (4) आपदा संबंधी प्रतिक्रिया देने की क्षमताओं का निर्माण करना और आपदा के उपरांत पुनर्निर्माण करना।

**सेंद्ई फ्रेमवर्क** में आपदाओं से होने वाले नुकसानों को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें आपदा के कारण होने वाली मौतों, प्रभावित लोगों, आर्थिक हानि और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को कम करना शामिल है। इसी प्रकार यह फ्रेमवर्क राष्ट्रीय और स्थानीय रणनीतियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पूर्व चेतावनी की बेहतर सुविधा के जरिए क्षमता बढ़ाने का आह्वान भी करता है।

इससे पूर्व 2005 में **ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (एचएफए)** को मंजूर किया गया

था। नया फ्रेमवर्क आह्वान करता है कि पुराने फ्रेमवर्क की मंजूरी के बाद के दशक में आपदाओं के कारण जो नुकसान हुए हैं, उनके मद्देनजर नए निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में ठोस कार्य किए जाएं। **सेंद्ई फ्रेमवर्क** सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा किए जाने वाले कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करता है, साथ ही कई नए प्रयोगों को भी प्रस्तावित करता है। भारत के लिहाज से देखा जाए तो यह फ्रेमवर्क आपदा के जोखिमों को कम करने और उनकी प्रतिरोधक क्षमता का तत्काल निर्माण करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है।

भारत सरकार ने **सेंद्ई घोषणापत्र** के बाद अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सम्मेलन के दौरान हमने जो वादा किया था, उसके मद्देनजर नवंबर, 2016 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में '**नई दिल्ली घोषणापत्र**' और '**सेंद्ई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यवाही योजना**' को मंजूर किया गया। **सेंद्ई फ्रेमवर्क** में निहित आपदा जोखिम को कम करने के सामाजिक दृष्टिकोण के मद्देनजर एएमसीडीआरआर ने अनेक हितधारकों को एक साथ आने और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में **सेंद्ई फ्रेमवर्क** के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रतिबद्धताएं कायम करने का अवसर प्रदान किया। एक ओर इन निष्कर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र में **सेंद्ई फ्रेमवर्क** को प्रासंगिक बनाने में मदद मिलेगी तो दूसरी ओर यह समझ आएगा कि इस फ्रेमवर्क को तत्काल लागू करना क्यों महत्वपूर्ण है। एएमसीडीआरआर में प्रधानमंत्री

लेखक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और एशियाई क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र निर्दिष्ट आपदा न्यूनीकरण विशेषज्ञ हैं।

ने दस सूत्री कार्यसूची की घोषणा की। इस कार्यसूची का उद्देश्य क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने के प्रयासों को नए उत्साह से आगे बढ़ाना है। इस दस सूत्री कार्यसूची को पृष्ठ सं. 45 पर प्रस्तुत किया गया है।

दूसरी ओर भारत सरकार ने *सैंडई फ्रेमवर्क 2015-2030* के लक्ष्यों, उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के आधार पर सभी राज्य सरकारों के लिए प्राथमिक कार्रवाई का एक सेट जारी किया है। एएमसीडीआरआर के दौरान भारत सरकार ने एशियाई क्षेत्र में *सैंडई फ्रेमवर्क* के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु यूएनआईएसडीआर को 10 लाख डॉलर का अनुदान भी दिया है।

सैंडई की प्राथमिकता 4 के मद्देनजर *राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)* को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और उपकरण, दोनों के लिहाज से मजबूत किया जा रहा है जिससे वह एक पेशेवर आपदा मोचन बल के रूप में सशक्त हो सके। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 250 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ *राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया रिजर्व (एनडीआरआर)* के गठन को मंजूरी दी है जिसका संचालन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा किया जाएगा। इस फंड से *एनडीआरएफ* आपातकालीन वस्तुओं और सेवाओं को इनवेंटरी तैयार करेगा जिसमें टेंट, दवाएं, खाद्य सामग्री आदि शामिल हैं। इन सभी की जरूरत किसी भी आपदा में तत्काल होती है।

सरकार ने आपदा के समय अपने देश के विशेषज्ञों की काबिलियत को साझा करने और दूसरे देशों की मदद करने की इच्छा जाहिर की है। जापान में 2011 में और नेपाल 2015 में आए भूकंप के दौरान भारत पीड़ितों की हर संभव मदद कर भी चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार *दक्षिण आपदा प्रबंधन केंद्र* की मेजबानी के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ताकि क्षेत्र में आपदा के जोखिम को कम किया जा सके और सार्क देशों के बीच जानकारी को साझा किया जा सके। दिल्ली में आयोजित सार्क आपदा प्रबंधन अभ्यास (एसएएडीईएक्स) 2015 सरकार के विचारों और अनुभवों को साझा करने का आदर्श मंच बना था। इसके जरिए यह भी पता चला था कि सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग

स्थापित करके सरकार किस प्रकार संस्थागत तंत्र को मजबूत करना चाहती है। इसी प्रकार हैदराबाद में स्थित *भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस)* न केवल भारत, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र के 28 देशों को भी आपदा की पूर्व चेतावनी प्रदान करता है।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करने के लिए एनआईडीएम ने अगस्त 2015 में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत विश्वविद्यालय में आपदा अनुसंधान और

**सैंडई फ्रेमवर्क आपदा तत्परता और उसे कम करने के साथ-साथ राहत एवं बहाली के लिए निजी क्षेत्र सहित अन्य हितधारकों का भी आह्वान करता है। आपदा जोखिम को कम करने के मिशन में सरकारी और निजी-सभी प्रकार की संस्थाओं के सहयोग की जरूरत होती है जिससे क्षमता निर्माण हेतु विश्वसनीय और सस्ती आधुनिक तकनीक का प्रयोग और उसे साझा करते हुए इससे जुड़े तंत्र को मजबूत किया जा सके।**

प्रतिरोधक क्षमता निर्माण संबंधी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता और शैक्षिक सहयोग प्रदान किया गया जिससे बहु-अनुशासनिक ढांचे के भीतर उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त संस्थागत सुदृढीकरण के एक अंग के रूप में भारत सरकार ने नागपुर स्थित राष्ट्रीय सिविल डिफेंस कॉलेज में *राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी* का गठन किया है। इस अकादमी में आपदा प्रबंधन और मोचन में संलग्न कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार ने *राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा कॉलेज* को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से 205 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया। आधारभूत संरचना के विकास में *डीआरआर* को शामिल करने के उद्देश्य से हम इससे जुड़ी संस्थाओं को आपदा रोकथाम का बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं, विशेष रूप से पर्वतीय राज्यों में स्थित संस्थाओं को।

इसके अतिरिक्त सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया है और वर्ष 2015-16 और 2019-20 के लिए राज्यों के राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) में 61,220 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है (केंद्र के अंश के रूप में 47,029.50 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के रूप में 14,90.50 करोड़ रुपये)।

13वें वित्त आयोग द्वारा 2010-11 से 2014-15 के दौरान किए गए 33,580.93 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में यह काफी अधिक है। *एसडीआरएफ* के प्रावधानों के अतिरिक्त गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मद्देनजर *एनडीआरएफ* द्वारा भी फंडिंग की जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं को प्रबंधित करने के लिए कुल 17,749.18 करोड़ रुपये जारी किए गए (इसमें *एनडीआरएफ* द्वारा जारी 5,297.22 करोड़ रुपये भी शामिल हैं)।

अंत में इस बात पर बल देते हुए कि आपदा के जोखिम को कम करने में राज्य की मुख्य भूमिका होती है, सैंडई फ्रेमवर्क आपदा तत्परता और उसे कम करने के साथ-साथ राहत एवं बहाली के लिए निजी क्षेत्र सहित अन्य हितधारकों का भी आह्वान करता है। आपदा जोखिम को कम करने के मिशन में सरकारी और निजी-सभी प्रकार की संस्थाओं के सहयोग की जरूरत होती है जिससे क्षमता निर्माण हेतु विश्वसनीय और सस्ती आधुनिक तकनीक का प्रयोग और उसे साझा करते हुए इससे जुड़े तंत्र को मजबूत किया जा सके। भारत सरकार का मानना है कि संपोषणीय आधारभूत ढांचे में सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जिसमें तेजी से बढ़ते शहरीकरण के परिणामस्वरूप दूसरे प्रकार के जोखिम भी शामिल हैं। नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित एएमसीडीआरआर के निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे क्षेत्र की राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या है। इसके जरिए जोखिम एवं चुनौतियों को चिह्नित करने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान देने वाले दुर्लभ संसाधनों के समान वितरण में मदद मिलेगी।

## आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2016

**पि** छले दिनों नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर केंद्रित एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य आपदाओं के जोखिम को कम करने की दिशा में उत्तम पद्धतियों को साझा करना था। एशियाई क्षेत्र के लगभग 4000 प्रतिभागियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

सैंदई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) के बाद आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर यह पहला एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसीडीआरआर) था। मार्च, 2015 में जापान के सैंदई में आयोजित तीसरे विश्व सम्मेलन में एसएफडीआरआर (2015-2030) को मंजूर किया गया था। यह प्राकृतिक खतरों जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा

और चक्रवात आदि के कारण होने वाले नुकसान को कम करके, आपदा के जोखिम को कम करने के लिए लक्ष्यों और प्राथमिक कार्रवाई को चिह्नित करता है, वह भी रोकथाम की नीति के जरिए।

2005 में स्थापित एएमसीडीआरआर एक द्विवार्षिक सम्मेलन है जिसे विभिन्न एशियाई देश और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनआईएसडीआर) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। अगला एएमसीडीआरआर 2018 में मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा।

दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों नई दिल्ली घोषणापत्र और सैंदई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए एशियाई क्षेत्रीय योजना को इस तीन दिवसीय सम्मेलन में मंजूर किया गया।



### नई दिल्ली घोषणापत्र

नई दिल्ली घोषणापत्र एक राजनैतिक वक्तव्य है जिसे प्रतिभागी सरकारों ने आपदाओं के जोखिमों की रोकथाम करने और उसे कम करने, एशियाई क्षेत्र के समुदायों और देशों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए प्रस्तुत किया है। विश्वव्यापी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की गति तेज करने

की जरूरत को स्वीकार करते हुए घोषणापत्र डीआरआर के प्रति व्यक्ति केंद्रित और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के साथ प्रतिबद्ध है। यह सामुदायिक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत पर बल देता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रतिभागियों को प्रतिरोधक क्षमता हासिल हो।

### एशियाई क्षेत्रीय योजना

सैंदई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए एशियाई क्षेत्रीय योजना इस बात पर केंद्रित है कि राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर आपदा के जोखिम को कैसे कम किया जाए। यह 15 वर्षीय योजना है जो सहयोग और समन्वय के लंबे सफर को तय करेगी। साथ ही इसमें दो वर्ष की कार्य योजनाएं भी हैं जिसके केंद्र में आपदा के जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट, कार्य करने योग्य गतिविधियां हैं।

सैंदई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु किए जाने वाले कार्यों में राष्ट्रीय और स्थानीय रणनीतियों को विकसित करना, आपदा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की नीतियों और योजनाओं को विकसित करना और उन्हें लागू करना शामिल है। इसके तहत आपदा तत्परता में निवेश बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें आपदा के जोखिम को कम करने से संबंधित जानकारियों को मजबूत किया जाएगा। समुदाय की भागीदारी और आपदा संभावित

क्षेत्रों के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जोखिम मूल्यांकन, उत्तम आंकड़ों की उपलब्धता और समुदायों के लिए प्रभावी जोखिम सूचना प्रणाली अत्यंत आवश्यक है।

सुनामी पर जागरूकता फैलाने के लिए सम्मेलन में पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर विनाशकारी प्राकृतिक जोखिम से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली और समुदायों की तैयारियों के महत्व पर बल दिया गया।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आपदा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। सैंदई फ्रेमवर्क के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए दस सूत्रीय कार्यसूची को रेखांकित किया।